अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	रतना बनाम भोली वगैरह (2024 / 292) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया, प्रति अभिभाषक अपीलांट को दी गयी। प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र मय धारा 151 जा0दी0 पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 20.01.2025 को पेश हो।	
8/01/25	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
20/01/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 05.12 2024 को प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति व स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट (प्रार्थना प्रस्तुतकर्ता) ने दौराने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2024 के विरूद्ध आदेश 43 नियम 1 (बी) मे वर्णित प्रावधानो अनुसार ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नहीं होने से उक्त अपील इसी आधार पर काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्व वाद पत्र तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र में पृथक–पृथक आदेश पारित किये है जिनके विरूद्ध अपीलांट / अप्रार्थीगण ने संयुक्त एक ही अपील प्रस्तुत करके उक्त आदेशों को चुनौती दी है जो चलने योग्य नहीं होने से इसी आधार पर काबिल खारिज किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट / अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब / बहस प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि वादीगण की विवादित भूमि खाता संख्या 37 के साबिक खसरा नम्बर 431, 434, 432, 435, 438, 437 की पुश्तैनी कृषि है जिसमें वादीगण / अपीलांट का हक हिस्सा निहित है, सेटलमेन्ट विभाग द्वारा विना सक्षम आदेश के प्रतिवादी के नाम हिस्से अधिक भूमि दर्ज कर दी इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट प्रस्तुत किया गया है तथा साथ ही प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को निस्तारण नहीं किये जाने कारण अपीलांट ने मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। दिनांक 17.01.2023 को विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथारिथति बनाये रखने के आदेश पारित कर समस्त पक्षकारों की सुनवाई कर 60 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेंतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया तत्पश्चात् शेष पक्षकारों के नोटिस पेश कर दिये तथा उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने आगे नोटिस तलबाना पेश करने के निर्देश नहीं दिये थे यह उनकी गलती थी, फिर भी प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने अदम पालना में खारिज किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को खारिज करने के विरूद्ध यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसका	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

328/2024/223 रतना/ष/मोला व अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2024/338 श्री शहाबुद्दीन खान श्री 21/4/24 चौधरी 1/4/6	

लगातार

क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हैं इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना–पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा मूल वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 28.10.2024 को खारिज किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को भी खारिज किया है जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई थी किन्तु तत्समय मूल वाद के विरूद्ध किसी भी प्रकार की चारोचाही नहीं किये जाने से अपील को खारिज किया गया था। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त अपील मूल वाद खारिज किये जाने के विरूद्ध पेश की है, जो न्यायालय हाजा में पोषणीय होने से अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अपील का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया की अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नहीं किये जाने से वाद पत्र को खारिज किया गया था तथा उक्त अपील वाद को पुनः नम्बर में लिये जाने हेतु पेश की गई है। हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित करना उचित समझते है।

अपील अपीलांट निर्णित की जाकर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे वाद संख्या 38/2022 को पुनः नम्बर पर लिया जावें तथा प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner